भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 732
उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास

732. डॉ. अमर सिंहः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ जैसे पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों में रोजगार सृजन के चल रहे प्रयासों का रोजगार के अवसरों की गुणवत्ता और स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने, भारी उद्योगों के आधुनिकीकरण, नए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने और ऐसे क्षेत्रों के कार्यबल में महिलाओं और सीमांत समूहों की अधिक सहभागिता को सुगम बनाने के लिए की गई विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी दशक के लिए विनिर्माण-आधारित रोजगार को बढ़ावा देने और समावेशी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंडी गोबिंदगढ़ जैसे औद्योगिक समूहों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करने की क्या योजना है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था का एक गतिशील क्षेत्र है। भारत सरकार पंजाब में मंडी गोबिंदगढ़ सहित, देश में एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई प्रदर्शन का संवर्धन एवं गतिवर्धन, एमएसएमई चैम्पियंस स्कीम आदि शामिल हैं। ये स्कीमें विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, व्यापार और महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में रोजगार प्रदान करती हैं। दिनांक 1.7.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत से, पंजाब में 19,93,925 एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं जिनमें अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम शामिल है, दिनांक 25.11.2025 की स्थिति के अनुसार इन उद्यमों से 89,01,520 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

सरकार ने देश में भारी उद्योगों के आधुनिकीकरण, नए कौशल विकास कार्यक्रमों के संवर्धन और महिलाओं तथा हाशिए पर जीवन यापन कर रहे समूहों की और अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं:

i. देश में एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन तक उनकी पहुँच बढ़ाने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी केन्द्रों/टूल रूमों के नेटवर्क की स्थापना की गई है।

ii. उद्यम पंजीकरण (यूआर) और उद्यम असिस्ट पोर्टलों (यूएपी) पर महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

iii. महिला उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में यह अधिदेशित किया गया है कि सीपीएसई/मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक खरीद का 3% महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना अनिवार्य है।

iv. एमएसएमई मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) क्रियान्वित करता है जो एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है और गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करते हुए स्व-रोजगार के अवसरों को सृजित करने की ओर लक्ष्यांकित है। कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से, 39% महिलाएं हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) के मुकाबले अधिक सब्सिडी (35%) प्रदान की जाती है।

v. महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' क्रियान्वित करता है, जो कॅयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास की ओर लक्ष्यांकित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

vi. एमएसएमई मंत्रालय ने 18 पारंपरिक व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों को अनेक लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम शुरू की है।

vii. मंत्रालय ने मौजूदा और आकांक्षी महिला उद्यमियों के बीच जागरुकता सृजित करने के लिए 'यशस्विनी' जागरुकता कार्यक्रम आरंभ किया है और उन्हें हेंडहोल्डिंग, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण के माध्यम से सतत सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) : सरकार देश में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाते हुए उन्हें स्थानीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करना है। मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्टरी परिसरों में आधारभूत सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

स्कीम के तहत, एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत पंजाब राज्य में फोकल पॉइंट, मंडी गोबिंदगढ़, फतेहगढ़ साहिब में 01 उन्नयन परियोजना को शामिल करते हुए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की कुल 06 परियोजनाओं और 21 अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्कीम के तहत देशभर में अभी तक 113 सीएफ़सी और 251 आईडी को पूरा कर लिया गया है।

****